राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड

कमाकः–प.1 / स्था / 25 / 36 दिनांक 06 / 01 / 2025

–:आदेश :–

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले मे शीतलहर एवं बढती हुई ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.01.2025 से 11.01.2025 तक जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो मे अध्ययनरत विद्यार्थियो को शीतलहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाने एवं विद्यार्थियो के स्वास्थ्य के मददेनजर विद्यालयो मे अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है ।

अतः मै अजय सिंह राठौड़ ,जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा एवं प्रबधन आपदा प्राधिकरण झालावाड प्रबधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए झालावाड जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो मे अध्ययनरत छात्र–छात्राओ का दिनांक 07.01.2025 से 11.01.2025 तक का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओ हेतु लागू रहेगा । शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा । जिले के समस्त संस्था प्रधानो को निर्देशित किया जाता है कि इन आदेशो का अक्षरशःपालना सुनिश्चित करे। यदि कोई संस्था प्रधान उक्त अवधि के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी ।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड

कमाकः–प.1 / स्था / 2 / 37-71
दिनांक 06/01/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है ।

1–निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2–संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा संभाग कोटा
3–मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि जिले मे संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विधालयो मे उक्त आदेशो की पालना कराना सुनिश्चित करे।
4–जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) / प्रा0 झालावाड
5–उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार समस्त
6–मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी समस्त
7–सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

Education News Group